"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 113] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2016 — चैत्र 9, शक 1938

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-2/2016/वा. कर (आब.)/पांच (17). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) तथा उप-धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 (यथासंशोधित) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

1. उक्त नियमों में :-

(1) नियम 7(1) के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-
"परन्तु कार्यालय आबकारी आयुक्त द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक/आब./ठेका/2016/1110, रायपुर दिनांक 16-03-2016 से चयनित आवेदक द्वारा, देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लिये वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि के 1/12वें भाग के बराबर धनराशि प्रतिभूति के रूप में अपने चयन की सूचना के एक कार्य दिवस के भीतर जमा करनी होगी."

(2) नियम 9(ख) के पश्चात् तथा स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-
"परन्तु कार्यालय आबकारी आयुक्त द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक/आब./ठेका/2016/1110, रायपुर दिनांक 16-03-2016 से चयनित आवेदक द्वारा, इस नियम के खण्ड (क) उप-खण्ड (1) से (9) तक की शर्तों के प्रमाण स्वरूप आवेदनकर्ता चयन की सूचना के एक कार्य दिवस के भीतर, विहित प्रारूप में अपने प्रमाणित फोटोग्राफ सहित पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा तथा पैन कार्ड एवं आवेदन पत्र में उल्लेखित आयु, वर्तमान/स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ-साथ राजपत्रित अधिकारी अथवा पब्लिक नोटरी से प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करेगा."

(3) नियम 11 के उप-नियम (ख-1) के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-
"परन्तु कार्यालय आबकारी आयुक्त द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक/आब./ठेका/2016/1110, रायपुर दिनांक 16-03-2016 से प्रथम चयनित आवेदक द्वारा, चयन की सूचना के एक कार्य दिवस के भीतर वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि के 1/12वें भाग प्रतिभूति धनराशि अग्रिम रूप में जमा नहीं किया जाता है अथवा अन्य किसी कारण से उसका चयन निरस्त हो जाता है तो चयन सूची के दूसरे क्रम के आवेदक को संबंधित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के समूह का आवंटन किया जा सकता है."

(4) नियम 11 के उप-नियम (ख-2) के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-
"परन्तु कार्यालय आबकारी आयुक्त द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक/आब./ठेका/2016/1110, रायपुर दिनांक 16-03-2016 से दूसरे चयनित आवेदक द्वारा, चयन की सूचना के एक कार्य दिवस के भीतर वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि के 1/12वें भाग प्रतिभूति धनराशि अग्रिम रूप में जमा नहीं किया जाता है अथवा अन्य किसी कारण से उसका चयन निरस्त हो जाता है तो चयन सूची के तीसरे क्रम के आवेदक को संबंधित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के समूह का आवंटन किया जा सकता है."

(5) नियम 13 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-
"परन्तु कार्यालय आबकारी आयुक्त द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक/आब./ठेका/2016/1110, रायपुर दिनांक 16-03-2016 से चयनित अनुज्ञप्तिधारी अपने चयन सूचना से एक कार्य दिवस के भीतर वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि के 1/12वें भाग के बराबर प्रतिभूति धनराशि के रूप में अपने चयन सूचना के एक कार्य दिवस के भीतर जमा करेगा."

2. उक्त संशोधन दिनांक 22-03-2016 से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.